साचका स0–7 / बजट–46–06 / 2021 – 199 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनाक– 07/08/2025

विषयः– राजकीय राय बहादुर टुनकी साह (आर०बी०टी०एस०) होमियोपैथिक चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर में 120 नामांकन क्षमता के होमियोपैथिक कॉलेज एवं अन्य अनुसांगिक भवनों के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रु० 1,21,01,00,000/– (रुपये एक अरब इक्कीस करोड़ एक लाख) की लागत पर स्वीकृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से रु० 15,00,00,000/–(रुपये पन्द्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के पत्राक–4813, दिनांक–27 09 2021 के द्वारा राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर मे 120 नामांकन क्षमता के होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, 134 शैय्या का अस्पताल, 336 बेड का छात्रावास एव आवासीय भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त स्थूल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 मे, कुल रु० 1,21,01 00,000/–(रुपये एक अरब इक्कीस करोड एक लाख) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–256(7), दिनाक–11 01 2022 के द्वारा प्रदान की गयी।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य मे राजकीय राय बहादुर टुनकी साह (आर०बी०टी०एस०) होमियोपैथिक चिकित्सा कॉलेज एव अस्पताल, मुजफ्फरपुर मे नये भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल रु० 1,21,01,00,000/– (रुपये एक अरब इक्कीस करोड एक लाख) की लागत पर स्वीकृत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राज्य योजना मद से वित्त विभागीय पत्र स०–509/वि०, दिनाक–09 07. 2025 की कडिका–03 मे निहित शर्तों के अधीन रु० 15,00,00,000/–(रुपये पन्द्रह करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3– इस योजना हेतु अबतक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश/आवटनादेश स0 एवंदिनाक
1	2021–22	6,00,00,000/–	स0–299(7), दिनाक–07 02 2022
2	2022–23	20,00,00,000/–	स0–552(7), दिनाक–17 03 2023
3	2024–25	17,06,00,000/–	स0–318(7), दिनाक–26 12 2024
4	2024–25	7,94,00,000/–	स0–570(7), दिनाक–24 03 2025
कुल योग–		**51,00,00,000/–**	

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–256(7), दिनाक–11 01 2022 मे निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

5– इस व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–110 अस्पताल तथा औषधालय–0101–आयुष कॉलेज अस्पताल एव डिस्पेसरी, विपत्र कोड–20–4210021100101, विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य मे उपबधित राशि से किया जाएगा।

6– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------------------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र मे तैयार कर प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

8— बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससम्य कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग का भी उपलब्ध करायेगे।

9— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561/वि0(2), दिनाक—17 04.98, 2880/वि0(2), दिनाक—06.05 06, 2933/वि0(2), दिनाक—08 04 08, 3758/वि0, दिनाक—31 05 2017, 7111/वि0, दिनाक—28 07 2022 एव 12888/वि0 दिनाक—03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

11— प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12— प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या—7/बजट—46—06/2021 के पृष्ठ— 40 /टि0 मे प्राप्त है।

13— सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवटन सगत शीर्ष मे उपबधित राशि से CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
7.8.25
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापाक.—7/बजट—46—06/2021 – 199 (7)/स्वा0, पटना, दिनाक 07/08/2025

प्रतिलिपिः— योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/प्राचार्य, राजकीय राय बहादुर टुनकी साह (आर०बी०टी०एस०) होमियोपैथिक चिकित्सा कॉलेज एव अस्पताल, मुजफ्फरपुर/ सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/महानिदेशक (आयुष) आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (होमियोपैथिक)/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7.8.25
सरकार के अपर सचिव ।